

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल छह पीठ रीवा जिला रीवा ॥म०प्र०॥



R-2393-1113

बाबू लाल पिता चोखे लाल केवट ॥ तीनो निवासी ग्राम महसुआ तहसील

2. बुद्धलिया पत्नी स्व० लल्लू केवट ॥ रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा ॥म०प्र०॥

3. प्रेम लाल पिता चोखे लाल ॥ ---निगरानीकर्तागण

बनाम

रुद्र प्रताप पिता ठाकुरदीन तिवारी निवासी ग्राम महसुआ तहसील रायपुर

कर्चुलियान जिला रीवा ॥म०प्र०॥ ---गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध तहसीलद्वारा रायपुर कर्चुलियान के
खाली राजस्व प्रकरण क्रमांक 10अ70/12-13 स्थान
दिनांक 15-5-2013 तथा निरस्त किये जाने समस्त
प्रकरण ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० राजस्व संहिता
सन् 1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि माननीय पिढान अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों के अपालन कर निरस्त योग्य है ।

2. यह कि मौजा महसुआ पटवारी हल्का क्रमांक 11 रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा ॥म०प्र०॥ में स्थित खसरा नम्बर 258/1 रकबा 0.035 है०

महसुआ

Handwritten notes in the left margin: 'श्रीमान् राजस्व मण्डल', '20-06-13', 'पु. य. उ. अ. 47', and a circled '20/06/13'.

Handwritten notes: 'अपील अर्ज', 'SL', '20.6.12'.

Handwritten notes: '22/6'.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2393-III/13

जिला-रीवा

बाबूलाल केवट/रुद्र प्रताप तिवारी

(1)	(2)	(3)
22.08.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता उपस्थित नहीं है।3. अनावेदक तथा अभिभाषक श्री नवल किशोर मिश्रा उपस्थित।4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	